भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1335
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ
विषय: दालों का उत्पादन और आयात

1335. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हमारा देश विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है और यहां प्रतिवर्ष 20 से 26 लाख टन दालों का आयात होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दलहनों और तिलहनों की कमी को देखते हुए सरकार का विचार उनके लिए कोई खरीद गारंटी योजना लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहनों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार गेहूं और चावल जैसी पारंपरिक फसलों के स्थान पर किसानों को अधिक दलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार दलहनों के आयात को कम करने के लिए अन्य देशों में संविदा कृषि पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): दलहनों का अखिल भारतीय उत्पादन 2015-16 के दौरान 163.23 लाख टन से बढ़कर 2023-24 के दौरान (तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) 244.93 लाख टन हो गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान दालों का आयात और निर्यात निम्नानुसार है -

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2021-22	26.99	3.87
2022-23	24.96	7.62
2023-24	47.38	5.94

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अधिसूचित तिलहन, दलहन और खोपरा की खरीद के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की अंब्रेला स्कीम के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है। तुअर, मसूर और उड़द के मामले में, घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएसएस के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए वस्तु के वास्तविक उत्पादन के 25% की खरीद सीमा हटा दी गई है।

(ग) से (ङ): दलहन सहित खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यान्वित कर रहा है और फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) मूल हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि उन्हें पानी की अत्यधिक आवश्यकता वाली धान की फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों, पोषक अनाजों, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ा जा सके। इसके अलावा, भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन भी प्रदान करती है।

******